

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, जल संसाधन खण्ड प्रथम डूंगरपुर

क्रमांक:- 4592

दिनांक:- 21.12.2017

श्रीमान प्रधान मुख्य वनसंरक्षक,
राजस्थान जयपुर।

विषय:- बोर का भाटडा लघु सिंचाई परियोजना हेतु इन क्षेत्र के कारस्तकारों को जमीन के बदले जमीन देने हेतु 6.5 हैक्टर वनभूमि के प्रत्यावर्तन प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग:- आपका ऑनलाईन मेल दिनांक 20.12.2017 के संबंध में।

महोदय

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि आप द्वारा जो आक्षेप प्राप्त हुए है जिसमें दिनांक 19.12.2017 को उच्च अधिकारियों द्वारा वार्तालाप पश्चात् दिये गये निर्देशानुसार आक्षेपों की पूर्ति कर पुनः बिन्दुवार प्रतिउत्तर आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नानुसार प्रेषित है।

1. जे भूमि 6.5 हेक्टेयर प्रत्यावर्तन हेतु रानीझुला वनखण्ड में प्रस्तावित की गई है व अनसर्वेयड है जो उँटीया गांव की पश्चिम दिशा में स्थित है चूकि यह वन विभाग में होने से अनसर्वेयड है अतः अनसर्वेयड भूमि किसी भी गांव में शामिल नहीं होती है। परन्तु गांव उँटीया सीमा से लगती हुई है। अतः उँटीया गांव में स्थित है। नक्शा संलग्न है।
2. प्रस्तावित भूमि आवासीय प्रयोजनार्थ नहीं है यह मात्र कृषि उपयोग हेतु प्रस्तावित की गई है। अतः विस्थापित परिवारों को आवंटित भूमि सडक, सामुदायिक सुविधाएं हेतु भूमि देना अपेक्षित नहीं है।
3. बिन्दू सं. 2 व 3 के मध्य किसी प्रकार की भूमि को नहीं छोड़ा जा गया है। यह वनभूमि से लगा हुआ है। अतः किसी प्रकार के अतिक्रमण की संभावना नहीं है। इस संबंध में उपवन संरक्षक डूंगरपुर के पत्र क्रमांक 8020 दिनांक 16.11.17 के द्वारा स्थिती स्पष्ट कर दी गई है। (पत्र की प्रति संलग्न है।)
4. जीटीशिट 1:50000 स्केल पर अंकित कर पूर्व में भेजी जा चुकी है। सुलभ संदर्भ हेतु पुनः संलग्न कर प्रेषित है।
5. प्रतिउत्तर बिन्दू संख्या 3 के अनुसार पढ़ा जावे।
6. पूर्व में संलग्न कर प्रस्तुत की जा चुकी है फिर भी सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न की जा रही है।
7. विस्थापन योजना रिहेबिलिटेशन प्रस्ताव के अन्तर्गत नहीं है।

बोर का भाटडा लघु सिंचाई परियोजना के संबंध में वस्तु स्थित का संक्षिप्त नोट संलग्न कर प्रस्तुत है। जिसने परियोजना की स्थिति स्पष्ट की गई है।

अतः श्रीमान् से निवेदन है कि उक्त प्रकरण का पुर्नपरिक्षण कर आवश्यक कार्यवाही करावे।

संलग्न :- 1. जी.टी. शीट

2. उपवन संरक्षक का पत्र

3. संक्षिप्त नोट

(के0एल0रोत)

अधिशाषी अभियन्ता

जल संसाधन खण्ड प्रथम डूंगरपुर